

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 35/2019 वाद

अशरफ खान व अन्य

// बनाम //

हफीज अहमद व अन्य



वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

अधिवक्ता वादीगण के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए वादीगण उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। तथा इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज कराना चाहते हैं। अतः अधिवक्ता वादी का वाद विद्वा बाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद इसी स्टेज विद्वा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

